संख्या–419 /बीस–13–वि–2013–4(विविध)/13

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ. प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13(विविध) लखनऊ, दिनांक: 18 फरवरी, 2014

विषयः शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की नवीन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1995/बीस–13–वि–2013–4(विविध)/13–टीसी–II, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 एवं संख्या–2652/बीस–13–वि–2013–4(विविध)/13, दिनांक 21 नवम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन के एजेण्डा वर्ष 2013–14 में निर्धारित सूत्र संख्या–166 के अन्तर्गत शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की नवीन व्यवस्था को क्रमशः प्रथम चरण में दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से उ. प्र. सचिवालय के 10 विभागों व द्वितीय चरण में दिनांक 15 नवम्बर, 2013 से 26 अन्य विभागों में लागू किये जाने से अवगत कराया गया है।

2. तृतीय व अन्तिम चरण में प्रश्नगत योजना को दिनांक 17 फरवरी, 2014 से उ. प्र. सचिवालय के सभी विभागों में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के सम्बन्ध में यह एक उल्लेखनीय प्रयास है। पूर्व में दो चरणों में इस योजना को 36 विभागों में लागू किया जा चुका है, जहॉ यह सुचारु रुप से संचालित हो रही है।

3. इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि तृतीय व अन्तिम चरण में चयनित सभी विभागों द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत एवं अपलोड करने की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए एवं इसकी नियमित समीक्षा की जाए जिससे कि व्यवस्था को लागू करने में कोई गतिरोध उत्पन्न न होने पाये। किसी भी अवस्था में इन विभागों में कोई भी शासनादेश मैनुअली जारी न हो। ऐसे किसी प्रकरण को आनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने में लापरवाही संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. तृतीय व अन्तिम चरण में चयनित सभी विभागों में दिनांक 17.02.2014 के उपरान्त जारी होने वाले शासनादेश http://shasanadesh.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इन विभागों में दिनांक 01.03.2014 के उपरान्त किसी भी शासनादेश को वैध तभी माना जाये जब वह इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो। चयनित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव कृपया अपने–अपने विभागों में शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत एवं अपलोड करने की कार्यवाही एवं उपरोक्त वेबसाइट का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे कि शासन की प्राथमिकता वाली इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।